

अ.ज.जाति,अ.जाति अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय

आई0टी0डी0ए0,प0 सिंहभूम, चाईबासा।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या . /2021

1. विज्ञापन दाता का नाम :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, चाईबासा
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक-23.08.2021 को पूर्वाहण 12.00 बजे से अपराहण 04.00 बजे तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक-24.08.2021 को 3.00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक-24.08.2021 को 04.00 बजे अप0 में
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, चाईबासा,
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, चाईबासा,
7. कार्य की विवरणी :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	जे0एल0एन.0 कॉलेज चकधरपुर परिसर में अ0ज0जाति बालिका छात्रावास का रंगरोगन/मरम्मत	281850.00	5700.00	750.00	1 माह
2	अ0ज0जाति बालक छात्रावास रोलाडीह चकधरपुर का रंगरोगन/मरम्मत	904061.00	18100.00	1250.00	3 माह
3	अ0ज0जाति बालक छात्रावास मझगॉव का रंगरोगन एवं मरम्मत	466800.00	9400.00	750.00	2 माह
4	अ0ज0जाति बालक छात्रावास बलण्डिया हाटगम्हरिया का रंगरोगन/मरम्मत	1227700.00	24600.00	2500.00	3 माह
5	अ0ज0जाति बालक छात्रावास डुमरिया का रंगरोगन/मरम्मत हाटगम्हरिया	105850.00	2200.00	500.00	1 माह
6	आदिवासी बालक छात्रावास पुरनिया खूंटपानी का रंगरोगन/मरम्मत	2042099.00	40900.00	5000.00	4 माह
7	अ0जाति बालिका छात्रावास टाटा कॉलेज परिसर चाईबासा का रंगरोगन/मरम्मत	1202400.00	24100.00	2500.00	3 माह

- नोट:-
- > यूकैन निबंधित निविदाकार ही निविदा डाल सकते है।
 - > कार्य भवन निर्माण से संबंधित है अतः भवन निर्माण विभाग से निबंधित संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - > विद्युत मर्दों के कार्य हेतु उर्जा विभाग द्वारा निर्गत अनुज्ञा प्रमाण पत्र। (निविदा शर्त अनुसार)
 - > निविदा की शर्तें अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर उपलब्ध है।
 - > पथ निर्माण विभाग रांची के संकल्प संख्या-2146(एस), दिनांक-9.9.20 के आलोक में निविदा निश्पादन किया जायेगा।
 - > एक निबंधन पर दो से अधिक कार्यों का परिणाम विपत्र देय नहीं होगा।
 - > भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट ही मान्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट परियोजना निदेशक,आई0टी0डी0ए0,चाईबासा के पक्ष में एवं भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा चाईबासा में भुगतये होगा, जिसे लोटाया नहीं जायेगा।
 - > अग्रधन के रूप में NAC/TD/FD (Vaildity 3 Years & duly discharged) मान्य होगा। जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, चाईबासा के नाम से प्रतिज्ञित होगा।
 - > परिमाण विपत्र निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को (प्राधिकार पत्र में अंकित पहचान दस्तावेज की छाया प्रति के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करने पर) निर्गत किया जायेगा।
 - > निविदा की आवश्यक शर्तें पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा के वेबसाईट -WWW.chaibasa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

निविदा की शर्त :-

1. भवन निर्माण विभाग झारखण्ड के संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अंतर्गत समुचित श्रेणी या इससे एक श्रेणी उपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिणाम विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
3. परिमाण विपत्र कय हेतु आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक चाईबासा शाखा में भुगतोय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जिसकी वैधता न्यूनतम दो माह शेष हो, संलग्न करना होगा।
4. परिमाण विपत्र निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को (प्राधिकार पत्र में अंकित पहचान दस्तावेज की छाया प्रति के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करने पर) निर्गत किया जायेगा।
5. निविदा के साथ विभागीय निबंधन प्रमाण पत्र जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. रिटर्न, पैन कार्ड, विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, विद्युत कार्य अनुज्ञा पत्र (यदि विद्युत कार्य हो तो) या निविदाकार एवं अनुज्ञा पत्र धारक दोनों द्वारा कार्य विशेष हेतु नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशन के बाद का हो संलग्न करना होगा।
6. अग्रधन की राशि झारखण्ड राज्य अंतर्गत किसी डाकघर से निर्गत एन0एस0सी0 (अद्यतन निर्गत), तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक अथवा राज्य स्थित अनुसूचित बैंक की किसी शाखा द्वारा निर्गत फिक्स डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी के रूप में होगी जिसे परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, चाईबासा के नाम से प्रतिज्ञित (Pledged) कराकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बैंक गारंटी की सुविधा फर्म /कंपनी/पब्लिक इंटरप्राइजेज का ही होगा। अग्रधन राशि की वैधता निविदा प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों बाद तक का होना अनिवार्य है।
7. निविदादाता को अपना दर अंकों एवं अक्षरों में निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा। गैर अनुसूचित मदों की दरें दशमल के दो अंकों तक ही अंकित की जाय, अन्यथा दरें अमान्य होगी। भिन्नता की स्थिति में अक्षरों में अंकित दर मान्य होगी पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-2146 (एस) दिनांक-9.9.2020 के आलोक में उद्धृत दर मान्य होगा।
8. निविदा के साथ एन0आई0टी0 में अंकित अवधि में कार्य सम्पादन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम संलग्न करना होगा।
9. सशर्त निविदा अमान्य होगा। निविदा डालने के पूर्व स्थल निरीक्षण कर निर्माण हेतु संसाधनों की उपलब्धता तथा कार्य परिस्थितियों का आकलन कर लेंगे। बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगी।
10. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार व्यवहृत लघु खनिजों के कय संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा निर्गत चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमावली के प्रावधानानुसार भुगतान किया जायेगा। जिला खनन कार्यालय द्वारा सत्यापन में गलत पाए जाने पर संवेदक विहित दंड के पात्र होंगे।
11. कार्य में स्थानीय मजदुर को लगाना एवं उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
12. संवेदकों को निर्माण सामग्रियों की तथा यथा आवश्यक अन्य सामग्रियों का गुणवत्ता जाँच सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से कराकर जाँच प्रतिवेदन देना होगा। कार्या के विपत्र का भुगतान जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।
13. निविदा के साथ संवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा की उन्हें न तो काली सूची में डाला गया न ही डिबार किया गया है और न ही किसी कार्यालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थानीयता/वरीयता के आधार पर कार्य आवंटन किया गया है।
14. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। अन्यथा द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
15. कार्य समाप्ति के बाद कार्य का त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि (Defect Liability Period) छः माह होगा।
16. नियमानुसार सभी कर कटौती कर भुगतान किया जायेगा। कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर एकरारनामा की राशि से 10 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
17. आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. कार्य समाप्ति के छः माह के पश्चात ही अग्रधन एवं विपत्र में कटौती की गई राशि का भुगतान किया जायेगा।
19. उपयोग में लाए गए सिमेंट के खाली बैगों की कीमत विपत्र से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
20. प्राक्कलन/नक्सा/निरूपण एवं अन्य विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
21. यदि परिमाण विपत्र की बिक्री / निविदा प्राप्ति की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को परिमाण बिक्री/निविदा प्राप्त किया जायेगा।
22. बिना कारण बताए निविदा को स्थगित /रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी
परिचय सिद्धम
10/1/20

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, चाईबासा

ज्ञापांक 921(b) / आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-जिला जनसूचना पदाधिकारी,चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक - 921(b) / आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आमंत्रित निविदा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने का कृपा करेंगे।
www.Chaibasa.nic.in

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक - 921(b) / आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-प्र0 कार्यपालक अभियंता/प्र0सहायक अभियंता/कनीय अभियंता,आई0टी0डी0ए0,चाईबासा को सूचनार्थ। निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार निविदा से संबंधित सभी कागजात तैयार कर दिनांक..... एवं को निविदा स्थल पर उपस्थित रहने का कष्ट करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक - 921(b) /आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-थाना प्रभारी,मुफफसिल,चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा प्राप्ति तिथि एवं समय पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का कृपा करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक - 921(b) / आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-पुलीस अधीक्षक,प0सिंहभूम,चाईबासा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने स्तर से थाना प्रभारी,सदर, चाईबासा को आवष्यक निर्देश देने का कृपा किया जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक - 921(b) / आई0टी0डी0ए0, चाईबासा, दिनांक :- 14.08.2021

प्रतिलिपि :-जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा की सेवा में सूचनार्थ।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा
13/8

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा